न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 260/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. श्रीमती पुरूषोतम देवी पत्नी नन्दलाल शर्मा के कायमु मुकाम– 1. मनमोहन शर्मा पुत्र स्व. श्रीमती पुरूषोतम देवी एवं नन्दलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी– एस–1149, आशियाना अमर बाग, कुडी भगतासनी, पाली रोड, जोधपुर। 2. किशनलाल पुत्र स्व. श्रीमती पुरूषोतम देवी एवं नन्दलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी– पंडित जी का कुंआ, भादू मार्केट के पास, पाल रोड, जोधपुर। 3. श्रीमती शोभा व्यास पुत्री स्व. श्रीमती पुरूषोतम देवी एवं नन्दलाल पत्नी श्री वल्लभ व्यास, जाति ब्राहम्ण, निवासी– 23/299, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, पाल रोड, जोधपुर।		1. जो कोई हो। 2. धमेन्द्र दाधीच पुत्र किशनलाल दाधीच निवासीगण– डी–63, शास्त्री नगर, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.07.2021 जो तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा वसीयत प्रकरण संख्या 01/2021 अनवान पुरूषोतम देवी बनाम जो कोई हो में पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री अक्षय दवे, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री नथाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः09दिसम्बर, 2024

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा वसीयत प्रकरण संख्या 01/2021 अनवान पुरूषोतम देवी बनाम जो कोई हो में पारित आदेश 15.07.2021 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.10.2021 को प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना पत्र नामा0 दर्ज करने बाबत तहसीलदार जोधपुर के समक्ष पेश किया जिसमें अपीलार्थीनी के पति श्री नन्दलाल शर्मा की स्वअर्जित भूमि कृषि ग्राम पाल के ख0सं0 206 रकबा 20 बीघा 18

बिस्वा भूमि आई हुई है। जिसमें 04 बीघा भूमि बेचान कर दी गई, शेष 16.18 बीघा भूमि के सम्बन्ध में श्री नन्दलाल के द्वारा अपने जीवनकाल में एक अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 15.01.2020 अपीलार्थीया के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 16.01.2020 को नन्दलाल शर्मा का देहान्त हो गया। श्री नन्दलाल के द्वारा अपनी अन्तिम इच्छा अनुसार अपने प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी पुत्रों के समक्ष अपनी सम्पति बाबत विधि अनुसार उनकी साख में हस्ताक्षर कर वसीयत निष्पादित की थी। श्री नन्दलाल के देहान्त उपरान्त अपीलार्थी के द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित वसीसतनामें अनुसार अपने हक में नामा0 पारित किये जाने हेतु तहसीलदार जोधपुर के समक्ष आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या दो द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई एवं पटवारी से भी रिपोर्ट प्राप्त की। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 15.07.2021 को अस्वीकार कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष यह अपील पेश की है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि श्री नन्दलाल के द्वारा अपनी अन्तिम इच्छानुसार उक्त भूमि की वसीयत अपीलार्थीया के पक्ष में उनके पुत्रों व पुत्री के समक्ष निष्पादित की थी जिसें सही नहीं माने का कोई कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं था, मात्र आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति करने पर उसे अस्वीकार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत साख करने वाले उनके पुत्रों के द्वारा उपस्थित होकर प्रमाणित किया है। ऐसे में वसीयत को अस्वीकार कर अपीलार्थीया को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने का आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्तिकर्ता के आधार पर वसीयत को सन्देह पेदा करने वाला मान लिया जो विधि विरूद्ध है। जबकि किशनलाल शर्मा के पुत्र धमेन्द्र व केतन वगैराह के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण विचाराधीन है। आपत्तिकर्ता को उल्लेखित वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति करने का कोई अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नहीं था और न ही वह किसी प्रकार से व्यथित थे, उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने बीमारी के रिकार्ड व केवल संदेह के आधार पर बिना जॉच एवं साक्ष्य के वसीयत को अस्वीकार कर दिया। यह स्वीकृत तथ्य थे कि श्री नन्दलाल ईलाज के लिये अस्पताल में भी थे परन्तु वसीयत की कार्यवाही के दौरान वे पूर्ण होशो हवास में थे क्योंकि उनको कुल्हे की हडडी के ईलाज के लिये भर्ती कराया गया था, वसीयत में आपत्तिकर्ता को कुछ नहीं देना जाहिर होने से उनके द्वारा आपत्ति पेश की गई थी, श्री नन्दलाल के प्रथम श्रेणी

अतिरिक्त आयुक्त

के उत्तराधिकारीयों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत को प्रमाणित किया था जो आपत्तिकर्ता के पिता है, उसके बावजूद भी उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। तहसीलदार द्वारा पटवारी से प्राप्त जॉच रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को स्वीकार नहीं किया। उसके बावजूद भी प्रमाणित वसीयत को अस्वीकार कर आदेश पारित कर दिया।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों, जॉच एवं साक्ष्य का पूर्ण विधिअनुसार विवेचन नहीं किया। श्री नन्दलाल शर्मा की स्वअर्जित भूमि को उनके पिता की खातेदारी की होना रिकार्ड में उपलब्ध दस्तावेजों के विपरित निर्णय में दर्शाया गया है और प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का उपयोग किये बिना आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2021 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के नाम नामा0 दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अधिवक्तां ने यह कथन किया कि अपीलार्थीया के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष में वादग्रस्त भूमि की वसीयत निष्पादित होने के आधार पर आवेदन किया गया तब उनकी ओर से आपत्ति पेश करते हुए यह अवगत कराया कि कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जावें तत्पश्चात उनकी ओर से लिखित में आपत्ति पेश की गई जिसमें पुरूषोतम देवी अपीलार्थी की ओर से पेश वसीयतनामें को फर्जी व कूटरचित होना बताया जो उक्त भूमि का हडपने की नियत से पेश की गई है क्योंकि श्री नन्दलाल की वृद्धावस्था होने तथा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण नन्दलाल को अस्पताल में दिनांक 22.12.2019 को कुल्हे के आरपेशन हेतु गम्भीर अवस्था में भर्ती करवाया गया तब उनके हदय व गुर्दे कम काम कर रहे थे तब दिनांक 27.12.2019 को उनका ऑपरेशन किया गया और उनको आईसीयू में शिफ्ट किया तब से उनकी मृत्यु होने तक वही शिफ्ट रहे। ऐसे में वसीयत लिखे जाने की दिनांक 15.01.2020 तक उनकी स्थिती लिखने, पढने व सुनने की थी ही नहीं। ऐसे में जो व्यक्ति सीसीयू वार्ड में अचेतन अवस्था में भर्ती हो तो उसकी ओर से किसी भी विधिक कानूनी कार्यवाही को कानूनी रूप से सही नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर के द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद दिनांक 15.07.2021 को निर्णय पारित करते हुए अपीलर्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है वो पूर्ण रूप से उचित है जिसे बहाल रखा जावें।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अखबार में विज्ञप्ति जारी की तथा पटवारी से रिपोर्ट तलब की एवं गवाह किशनलाल व मनमोहनलाल शर्मा

संभागीय आयुक्त

के बयान दर्ज किये व मुझ रेस्पोडेन्ट धमेन्द्र शर्मा के द्वारा पेश आपत्ति तथा अस्पताल में भर्ती नन्दलाल के मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत किये गये। ऐसे में दिनांक 22.12.19 से 16.01.2020 तक नन्दलाल शर्मा महात्मा गॉधी अस्पताल गम्भीर स्थिति में सीसीयू वार्ड में भर्ती थे तो वसीयत कैसे बन सकती थी और निष्पादित की जा सकती थी। तहसीलदार जोधपुर द्वारा उक्त प्रकरण में फर्जी वसीयत मानकर पुरूषोतम देवी के आवेदन को खारिज किया गया था। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने योग्य है एवं तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2021 अनवान पुरूषोतमदेवी बनाम जो कोई हो में पारित आदेश दिनांक 15.07.2021 को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से मनन किया तथा अपील पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के मूल रेकर्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजो आदि का अध्ययन व अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलार्थीया के द्वारा तहसीलदार जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2021 को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी ने मुख्य रूप से अपील में यह कथन किया है कि अपीलार्थीया के पक्ष में श्री नन्दलाल शर्मा के द्वारा जो वसीयत दिनांक 15.01.2020 को निष्पादित की गई है वह विधि अनुसार निष्पादित की गई है। जबकि वसीयतनामें के निष्पादित दिनांक को श्री नन्दलाल शर्मा सीसीयू वार्ड में भर्ती रहे जहॉ गम्भीर रोगीयों को रखा जाता है तो उनके द्वारा वसीयत को कैसे समझा, कैसे पढा व कैसे लिखवाया गया, यह संदेहास्पद ही लगता है और वसीयत निष्पादित करने के एक ही दिन पश्चात उनका देहान्त हो जाना भी वसीयत को संदेह की श्रेणी में रखता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए प्रकरण में अपीलार्थीया के पक्ष में हुई वसीयत को सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु निश्कर्ष दिया है वो उचित प्रतीत होता है जो विधि अनुकूल होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रहती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जाती है तथा न्यायालय तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2021 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

09.12.24

(अजीतसिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर